रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082026-275400
CG-DL-E-12082026-275400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4263] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2026/श्रावण 20, 1948
No. 4263] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2026/SHRAVAN 20, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

का.आ. 4441(अ).— केन्द्रीय सरकार ने जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 1147(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2003 द्वारा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की;

और, केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में समय-समय पर प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए विभिन्न अधिसूचनाएं जारी की हैं;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, जैव विविधता अधिनियम, 2002 (2003 का 18) की धारा 8 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 6 सितम्बर, 2026 से राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्यों की नियुक्ति करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1147(अ), तारीख 1 अक्तूबर, 2003 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-

1. उक्त अधिसूचना में, उपशीर्षक "धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन गैर-सरकारी सदस्य" के अधीन, क्रम संख्या (18) से (22) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(18) डॉ. आदित्य कुमार जोशी (05.09.2029 तक)

(19) डॉ. हंचिनाल आर. रामप्पा (05.09.2029 तक)

(20) डॉ. गौरी जोशी (05.09.2029 तक)

(21) डॉ. जया प्रकाश यादव (05.09.2029 तक)

(22) श्री चेरुकुरु वेंकटेश्वर प्रसाद (05.09.2029 तक)"।

2. सदस्यों की पदावधि इस अधिसूचना के पैरा 1 में उनके नामों के सम्मुख उपदर्शित अवधि के लिए होगी ।

[फा. सं. जे-22018/46/2003- सीएससी (बीसी) खंड-III]

तरुण कुमार कथुला, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1147 (अ), तारीख 1 अक्टूबर, 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 497 (अ), तारीख 15 अप्रैल, 2004; का.आ. 262 (अ), तारीख 22 फरवरी , 2007; का.आ.389 (अ), तारीख 15 फरवरी, 2010; का.आ. 3299 (अ), तारीख 31 अक्तूबर , 2013; का.आ. 1351 (अ), तारीख 7 अप्रैल, 2016; का.आ. 897 (अ), तारीख 21 मार्च , 2017; का.आ. 1850 (अ), तारीख 11 जून , 2020; का.आ. 1720(अ), तारीख 30 अप्रैल , 2021; का.आ. 289(अ), तारीख 15 जनवरी , 2025; फा.सं. जे -22018/12/2003-सीएससी (बीसी) खंड 3, तारीख 06 अक्तूबर, 2025 और का.आ. 5679(अ), तारीख 8 दिसंबर, 2025 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2026

S.O. 4441(E).— WHEREAS the Central Government established the National Biodiversity Authority under sub-sections (1) and (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003) *vide* notification number S.O. 1147(E), dated the 1st October, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii);

AND WHEREAS the Central Government has issued various notification in this regard to appoint the members of the Authority from time to time;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 8 of the Biological Diversity Act, 2002 (18 of 2003), the Central Government hereby appoints the following members to the National Biodiversity Authority with effect from 06th September, 2026 and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003, namely:–

1. In the said notification, under the sub-heading, "Non-official members under clause (d) of sub-section (4) of section 8", for the serial numbers (18) to (22) and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:–

"(18) Dr. Aditya Kumar Joshi (upto 05.09.2029)

(19) Dr. Hanchinal R. Ramappa (upto 05.09.2029)

(20) Dr. Gouri Joshi (upto 05.09.2029)

(21) Dr. Jaya Parkash Yadav (upto 05.09.2029)

(22) Shri Cherukuru Venkateswara Prasad (upto 05.09.2029)".

2. The term of office of the members shall be for a period indicated against their names under paragraph 1 of this notification.

[F. No. J-22018/46/2003-CSC(BC)Vol.III]

TARUN KUMAR KATHULA, Scientist 'G'

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 1147 (E), dated the 1st October, 2003 and subsequently amended vide notifications numbers S.O. 497 (E), dated the 15th April, 2004; S.O. 262 (E), dated the 22nd February, 2007; S.O. 389 (E), dated the 15th February, 2010; S.O. 3299 (E), dated the 31st October, 2013; S.O. 1351 (E), dated the 7th April, 2016; S.O. 897 (E) dated the 21st March, 2017; S.O. 1850 (E), dated the 11th June, 2020; S.O. 1720(E), dated the 30th April, 2021; S.O. 289(E), dated the 15th January, 2025; F.No. J-22018/12/2003-CSC (BC) Vol.III dated the 06th October, 2025 and S.O. 5679(E), dated the 8th December, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA